

प्रक.

उत्पल कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तरखण्ड शासन।

पृथ्वीमान ध.

1 - 09/07/07

सेवा में-

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

1) प्रतिलिपि सम्बन्धित शं.अ. (नवंबर 2007)

2) प्रतिलिपि सम्बन्धित वर्ग

अधीनस्थ अभियन्ता
नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 26 अक्टूबर, 2007

विषय- लोक निर्माण विभाग में कार्यों के समयबद्ध सम्पादन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु निविदा प्रणाली में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के निर्माण सम्पादन हेतु विभाग द्वारा आमन्त्रित की जाने वाली निविदाओं में पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दरें प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता एवं निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से टेकेंदारों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण तथा निविदा प्रणाली विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश सं-128/2002 दिनांक 13 मई, 2002, शासनादेश सं-235/2002 दिनांक 11 जून, 2002, शासनादेश सं-477/लो.नि.वि-1/02-75(सं.)/2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं-2504/लो.नि.वि-1/02-75(सं.)/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2003 में सिविल कार्यों से सम्बन्धित प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. टेकेंदारों का वर्गीकरण एवं पंजीकरण-

टेकेंदारों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर नियमानुसार पंजीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी-

(अ) श्रेणी-ए- टेकेंदार किसी भी सीमा तक कार्य के लिए निविदा देने के लिए तैयार होंगे।

(ब) श्रेणी-बी- टेकेंदार 100.00 लाख रुपये से अधिक सीमा के कार्य के लिए निविदा देने के लिए तैयार होंगे।

(ग) श्रेणी-सी- टेकेंदार 40.00 लाख रुपये से अधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए तैयार होंगे।

(द) श्रेणी-डी- टेकेंदार 25.00 लाख रुपये से अधिक सीमा तक के कार्य के लिए निविदा देने के लिए तैयार होंगे।

2. निविदा सूचना का प्रकाशन-

रुपये 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) से अधिक स्वीकृत लागत के कार्यों की निविदाएँ नेशनल कम्पैटिटिव बिडिंग (National Competitive Bidding) के अन्तर्गत टू बिड सिस्टम (Two Bid System) के आधार पर व्यापक प्रसार वाले विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार पत्रों (न्यूनतम एक राष्ट्रीय एवं एक प्रादेशिक) में वृहद् प्रचार एवं प्रसार हेतु सूचना निदेशक के माध्यम से दो बार प्रकाशित करायी जाय।

3. निविदाओं का विक्रय-

निविदा सूचना में कथाङ्गित कार्य से संबंधित खण्ड, संबंधित खण्ड का निकटस्थ कोई एक खण्ड, संबंधित खण्ड का कृतीय कार्यालय एवं निकटस्थ जनपद के किसी एक खण्ड से मूल्य देकर निविदाएँ कय की जा सकती हैं।

4. प्राप्त निविदाओं का खोला जाना-

4.1 निविदाओं के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय पर सील टेम्बर बॉक्सों को विशेष वाहक के माध्यम से उसी दिन निविदाओं को खोलने हेतु निर्धारित कार्यालय (खण्डीय/कृतीय) के अधिशासी अभियन्ता/अधीनस्थ अभियन्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।

Sat Bhan
21/10/07

163
31/10/07

F-Places
CT-3D

42 निविदा खोलने के लिए कार्यालय का निर्धारण एवं अधिकारियों की समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

(क) अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकता की सीमा तक (अर्थात् ₹ 40 लाख की सीमा तक) की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु गठित निम्न समिति द्वारा खोली जायेंगी:-

- (i) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता- अध्यक्ष/संयोजक
- (ii) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त के किसी अन्य खण्ड का अधिशासी अभियन्ता-सदस्य
- (iii) अधिशासी अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित खण्ड के सहायक अभियन्ता-सदस्य।

(ख) उच्च निविदायें अर्थात् अधिशासी अभियन्ता की अधिकारिकता की सीमा (₹ 40 लाख से अधिक) से अधिक की निविदाओं हेतु निविदायें संबंधित अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में निविदा खोलने हेतु समिति द्वारा खोली जायेंगी:-

- (i) संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता-अध्यक्ष
- (ii) संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता-सदस्य/संयोजक
- (iii) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित संबंधित वृत्त के किसी अन्य खण्ड के अधिशासी अभियन्ता-सदस्य

5. निविदा स्वीकृति हेतु समिति के सदस्यों का निर्धारण:-

क्र. सं.	अधिकार के प्रकार	जिसे द्वारा प्रयोग किया जायेगा	परिचीनार्थ	टेम्पर एडवाइजरी समितियाँ
1	विशेष संकेत निर्माण कार्य हेतु अथवा अन्य विशेष एवं नए कार्य निष्पन्न के लिए टेम्पर निविदा स्वीकृत करना	1. मुख्य अभियन्ता लो.नि.दि.	पूर्ण अधिकार	1. संबंधित मुख्य अभियन्ता-सदस्य-2 अध्यक्ष 2. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता-सदस्य 3. संबंधित अधिशासी अभियन्ता-सदस्य
		2. अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.दि.	₹ 1.00 करोड़ की सीमा तक	1. संबंधित अधीक्षण अभियन्ता-अध्यक्ष 2. संबंधित अधिशासी अभियन्ता-सदस्य 3. संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा नामित वृत्त का एक अन्य अधिशासी अभियन्ता-सदस्य
		3. अधिशासी अभियन्ता लो.नि.दि.	₹ 40 लाख की सीमा तक	1. संबंधित अधिशासी अभियन्ता-अध्यक्ष 2. संबंधित वृत्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा वृत्त का एक अन्य नामित अधिशासी अभियन्ता-सदस्य 3. संबंधित सहायक अभियन्ता-सदस्य

6. टर्न ओवर हेतु मानदंड:-

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में प्राप्त मुग्तान की राशि के बराबर धनराशि/लागत के कार्य हेतु निविदा दी जा सकेगी।

7. कार्यानुभव हेतु मानदंड:-

निविदा दाता द्वारा विगत 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में, दी जा रही निविदा की राशि के 50 प्रतिशत तक के कार्य को पूर्ण करने का अनुभव होना आवश्यक होगा।

8. निविदा दाता हेतु मशीनों एवं उपकरणों का मानदंड:-

निविदा दाता द्वारा स्वयं की अथवा लीज/किराये आदि पर भी मशीनों एवं उपकरणों की व्यवस्था की जा सकेगी है।

(3)

9. तकनीकी स्टाफ हेतु मानदंड-

- (i) ₹ 25 लाख की सीमा तक के कार्य- किसी तकनीकी स्टाफ/अभियन्ता की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) ₹ 25 लाख से ₹ 100 लाख की सीमा तक के कार्य- एक डिप्लोमा धारक तकनीकी अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।
- (iii) ₹ 100 लाख से 500 लाख की सीमा तक के कार्य- एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं 1 डिप्लोमा धारक अभियन्ता का होना आवश्यक होगा।
- (iv) ₹ 500 लाख से अधिक कार्य- एक डिग्री धारक अभियन्ता एवं दो डिप्लोमा धारक अभियन्ताओं का होना आवश्यक होगा।

10 धरोहर राशि :-

समस्त अनुबन्ध बैंक गारन्टी के आधार पर गठित किये जा सकेंगे।

उपरोक्तानुसार संशोधित प्राक्खानों के फलस्वरूप पूर्व निर्गत शासनादेश सं-128/2002 दिनांक 13 नवंबर, 2002, शासनादेश सं-235/2002 दिनांक 11 जून, 2002, शासनादेश सं-477/लोनि-1/02-75(स) 2002 दिनांक 31 जुलाई, 2002 एवं शासनादेश सं-2504/लोनि-1/02-75(स) 2002 दिनांक 25 नवंबर, 2003 उस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उनमें निहित अन्य प्राक्खान उक्त संशोधनों के अलावा में प्रासंगिकता अनुसार क्यार्वत रहेंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। कृपया उपरोक्त निर्देशों को समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(जयप्रकाश कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या : (1)/III-(2)/07, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, माओ मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबेरोय मोटर्स बिल्डिंग, मजरा देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लोनि/वि, पौड़ी/अल्मोड़ा।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोनि/वि उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
13. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

अज्ञात से
27/11/11
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।